संलग्नक 2

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक प्रपत्र

प्रारूप–1

(नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17(3) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 9 (ख) और धारा 37(37) (ग) के अधीन घारेलू घटना की रिपोर्ट

1. **परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्योरे :**

(1) परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे : ....

(2) आयु : ....

(3) साझी गृहस्थी का पता : ....

(4) वर्तमान पता : ....

(5) दूरभाष नं.,यदि कोई हो : ....

2. **प्रत्यर्थियों के ब्यौरे :**

क्रम सं.	नाम	व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नं.यदि कोई हो

3. **व्यथित व्यक्ति की संतानों के ब्यौरे, यदि कोई हो :**

(क) संतानों की संख्या : ....
(ख) संतानों के ब्यौरे : ....

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं।

4. **घरेलू हिंसा की घटनाएं :**

(i) घरेलू हिंसा

क्र.	**हिंसा की तारीख, स्थान और समय**	**वह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा कारित की**	**घटना का प्रकार शारीरिक हिंसा**	**टिप्पणियाँ**
			किस प्रकार को उपहतिकारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	

(ii) लैंगिक हिंसा

कृपया लागू होने वाले स्तंभ के सामने (√)चिन्हित करें

क्र.	**हिंसा की तारीख, स्थान और समय**	**वह व्यक्ति जिसने हिंसा कारित की**	**बलपूर्वक मैथुन**	**टिप्पणियाँ**
			अश्लील साहित्य या अन्य सामग्री देखने के लिए मजबूर करना आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना लैंगिक प्रकृति का दूर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना (कृपया नीचे दिए गये खाली स्थान में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	

(iii) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार

क्र.	**हिंसा की तारीख, स्थान और समय**	**वह व्यक्ति जिसने दुर्व्यवहार किया**	**चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग/कलंक लगाना**	**टिप्पणियाँ**
			दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना पुरूष संतान न होने के लिए अपमान करना कोई संतान न होने के लिए अपमान करना	

			अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियों/कथन करना उपहास करना निंदा करना आपकों विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना आपको नौकरी करने से रोकना घर से बाहर जाने से रोकना किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना अपनी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने से निवारित करना आपको उसकी/उनकी पंसद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना। आपको उसकी/उनकी पंसद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक, दुर्व्यवहार करना (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें) आपको या आपकी संतानों को भरणपोषण के लिए धन न देना आपको या आपकी संतानों को खाना, कपडे, दवाईयाँ आदि उपलब्ध न करवाना घर के बाहार रहने के लिए मजबूर करना आपको घर के किसी भाग में घुसने या उसका उपयोग करने से रोके जाना आपको आपकी नौकरी करने से निवारित	

			किया जा रहा हैं या उसमें बाधा डाली जा रही हैं। नौकरी करने की अनुज्ञा न देना भाड़े पर ली गई वास–सुविधा की दशा में भाड़ा न देना। कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी के उपयोग की वस्तुओं के उपयोग की अनुज्ञा न देना। आपकों सूचित किए बिना और आपकी सहमति के बिना स्त्रोधन या अन्य मूल्यावान वस्तुओं को बेच देना या बंधक रख देना आपका वेतन, आय या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना। स्त्रीधन का व्ययन करना बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना। कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	

(iv) दहेज संबंधी उत्पीड़न

			दहेज के लिए की गई मांग कृपया विनिर्दिष्ट करें: दहेज से संबंधित कोई अन्य ब्यौरा, कृपया विनिर्दिष्ट करे। क्या दहेज की मदें स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्रारूप के साथ हाँ/नहीं	

(अ) आपके या आपकी संतानों के विरूद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित कोई अन्य सूचना

(परिवादी/व्यथित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5. **संलग्न दस्तावेजों की सूची**

दस्तावेज का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र		
चिकित्सक प्रमाणपत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज़		

6. **वह आदेश जिसकी घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन आपको आवश्यकता हैं :**

क्रम. सं.	आदेश	हाँ/नहीं	कोई अन्य
(1)	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2)	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3)	धारा 20 के अधीन भरण–पोषण का आदेश		
(4)	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5)	धारा 22 के अधीन प्रतिकार का आदेश		
(6)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)		

7. **ऐसी सहायता जिसकी आपको आवश्यकता हो :**

क्र.	आदेश	हाँ/नहीं	कोई अन्य
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
(1)	परामर्शदाता		
(2)	पुलिस सहायता		
(3)	दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए सहायता		
(4)	आश्रय गृह		
(5)	चिकित्सा सुविधाएँ		
(6)	विधिक सहायता		

8. किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश जहाँ कही इस प्ररूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट हैं, वहां पुलिस अधिकारी ....

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह हभी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1947 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दांडित कार्यवाहियाँ प्रारंभ कर सकती हैं।

(ख) यदि व्यथित व्यक्ति दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करना नहीं चाहती हैं तो घरेलू हिसा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित व्यक्ति, अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के संबंध होने के कारण घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती हैं और उसने यह अनुराध किया हैं कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जाँच के लिए लंबित रखा जाए।

(ग) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई हैं तो उसे तुरन्त चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित की चिकित्सीय जांच की जाएगी।

स्थान :

(अभियोजन अधिकारी/सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)

नाम : ....
तारीख : ....
पता : ....

(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई :–

1. स्थानीय पुलिस थाना
2. सेवा प्रदाता/अभियोजन अधिकारी
3. व्यथित व्यक्ति
4. मजिस्ट्रेट

प्रारूप–2

(नियम 6 (1) देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,

मजिस्ट्रेट न्यायालय

....
....
....

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
(2005का 43 की धारा .... के अधीन आवेदन।)

यह दर्शित किया जाता हैं :

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा .... के अधीन घरेलू घटना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाईल किया जा रहा हैः

   (क) व्यथित व्यक्ति : ....
   (ख) संरक्षण अधिकारी : ....
   (ग) व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति : ....
   (जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

2. **यह प्रार्थना की जाती हैं कि माननीय न्यायालक परिवाद/घरेलू घटना रिपोर्ट का संज्ञान ले और ऐसे सभी या कोई ऐसा आदेश पारित करें जो मामले की परिस्थितियों के आवश्यक समझा जाए।**

   (क) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करें और /या

   (ख) धारा 19 के अधीन निवास आदेश पारित करें और/या

   (ग) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष संदाय करने का प्रत्यर्थी को निर्देश दे और /या

   (ध) अधिनियम के धारा 21 के अधीन आदेश पारित करें और/या

   (ड) धारा 22 के अधीन प्रतिकर या अनुसानी प्रदत्त करने हेतु प्रत्यर्थी को निर्देश दे और/या

   (च) ऐसे कोई अंतरिम आदेश पारित करें जो न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझें

   (छ) कोई ऐसा आदेश पारित करें जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए।

3. **अपेक्षित आदेश**

   (i) धारा 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेश

आवेदन के स्तभ 4 (क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ड)/(च)/(छ) के निबंधनानुसार वर्णित किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रत्यर्थी के विरूद्ध व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्यो को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी की विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यस्थल पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना

आपको आपकी नौकरी के स्थानपर जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी (पत्यर्थियों) को आपकी संतानों के विद्यालय/महाविद्यालय, किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना

आपको आपके विद्यालय जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी को आपके साथ किसी प्रकार को कोई पत्र व्यवहार करने से प्रतिषिद्ध करना।

प्रत्यर्थी को आपके साथ किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करने से प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी द्वारा आस्तियों को अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करना

प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त बैंक लाकर/खातों के प्रचालन को प्रतिषिद्ध करना और व्यथित व्यक्ति को उसके प्रचालन की अनुज्ञा देना।

प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के आश्रितों/संबंधियों/किसी अन्य व्यक्ति से, उनके विरूद्ध हिंसा रोकने के लिए दूर रहने का निदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें :

(i) धारा 19 के अधीन निम्नलिखित निवास आदेश

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को

मुझे साझी गृहस्थी से बेदखल करने या बाहर निकालने से रोकने का आदेश

साझी गृहस्थी के उस भाग में, जिसमें मैं निवास करती हूँ प्रवेश करने का आदेश

साझी गृहस्थी के अन्य संक्रामण/व्ययन/विल्लंगम रोकने का आदेश

प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,

उसे साझी, गृहस्थी से हटाने

उसी स्तर की वैकल्पिक वास सुविधा उपलब्ध करवानेया उसके लिए किराए का संदाय करने का

निर्देश देते हुए कोई आदेश

कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ii) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

उपार्जनों की हानि की बाबत दावा की गई रकम [ ]

चिकित्सीय खर्चो की बाबत दावा की गई रकम [ ]

व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि की बावत दावा की गई रकम [ ]

खंड 10 (घ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शारीरिक या मानसिक उपहति

दावा की गई रकम

कुल दावा की गई रकम

कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iii) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का निर्देश देना :
खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ प्रतिमास रूपये

विद्यालय की फीस और उससे संबंधित अन्य खर्चे प्रतिमास रूपये

गृहस्थी के खर्चे प्रतिमास रूपये

कोई अन्य खर्चे प्रतिमास रूपये

कुल प्रतिमास रूपये

कोई अन्य आदेश कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iv) धारा 21 के अधीन कृपया विनिर्दिष्ट करें।
प्रत्यर्थी को संतान या संतानों की अभिरक्षा
व्यथित व्यक्ति को उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा को सौंपने का निर्देश देना

(v) धारा 22 के अधीन प्रतिकर

(vi) कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

4. पूर्व मुकदमेबाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(क) .... के न्यायालय के भारतीय दंड संहिता की धारा .... के अधीन लंबित हैं।

(ख) .... के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा .... के अधीन लंबित है .... का निपटारा हो गया हैं, अनुतोष के ब्यौरे

(ग) .... के न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा .... में लंबित हैं
.... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे

(घ) .... के न्यायालय में हिंदू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम 1956 की धारा .... के अधीन लंबित हैं।

(ड) अधिनियम की धारा .... के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन

अंतरिम भरणपोषण रू. [ ] प्रतिमास

स्वीकृत भरणपोषण रू. [ ] प्रतिमास

(च) क्या प्रत्यर्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
एक सपताह से कम समय के लिए

एक मास से कम के लिए

एक मास से अधिक के लिए

कृपया अवधि विनिर्दिष्ट करें।

(छ) कोई अन्य आदेश

प्रार्थना :

अतः आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती हैं कि माननीय न्यायालय इसमें दावा किए गए अनुतोष (अनुतोषों) स्वीकृत करें और कोई ऐसा आदेश/ऐसे आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिए और न्याय में उपयुक्त और उचित समझें।

स्थान :

तारीख :

परिवादी/व्यथित व्यक्ति
मार्फत

काउंसेस

सत्यापन

तारीख .... को .... (स्थान) पर यह सत्यापित किया गया हैं कि उपर्युक्त आवेदन के पैरा 1 से 12 की अंतर्वस्तुएं मेरे ज्ञान में सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई हैं।

संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख सहित

प्रारूप –3

(नियम 6 (4) और 7 देखें)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अधीन शपथपत्र

न्यायालय : ....
एमएम : ....
पुलिस थाना : ....
.... के मामले में
सुश्री .... और अन्य .... परिवादी
बनाम ....
श्री .... और अन्य .... प्रत्यर्थी

शपथ

मैं .... पत्नी श्री..
निवासी .... पुत्री रही हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ और शपथ पर यह घोषणा करता हूं किः

1. मैं अपने स्वयं और मेरी पुत्री/पुत्र के .... लिए फाईल किए गए संलग्न आवेदन में आवेदक हूँ।
2. मै .... की नैसर्गिक संरक्षक हूं।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित होने के कारण मैं इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।
4. अभिसाक्षी .... पर प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के साथ .... से .... तक रही थी।
5. धारा (धाराओं) .... के अधीन अनुतोष प्रदान करने के लिए वर्तमान आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे/द्वारा /मेरे अनुदेशों पर दर्ज किए गए है।
6. मुझो आवेदन की अंतर्वस्तुऐं अंग्रेजी/हिन्दी/किसी अन्य स्थानीय भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें) पढ़कर सुना दी गई हैं और उन्हें स्पष्ट कर दिया है।
7. उक्त आवेदन की अंतर्वस्तुओं को इस शपथपत्र के भागरूप में पढ़ा जाए और संक्षिप्तता के लिए उनकी यहा पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।
8. आवेदन को प्रत्यर्थी (पर्ययार्थियों) द्वारा घरेलू हिंसा के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति की आशंका है जिसके विरूद्ध संलग्न आवेदन में अनुतोष चाहा गया है।
9. प्रत्यर्थी ने आवेदक को धमकी दी है कि ....
....
....
10. संलग्न आवेदन में मांगे गए अनुतोष अतिआवश्यक है क्योंकि यदि एक पक्षीय अंतरिम आधार पर उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किए जाते हैं तो आवेदक को अत्यधिक वित्तीय कठिनाई का

सामना करना होगा और उसे प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा की जा रहे उन घरेलू हिंसा के कार्यो की पहुनरावृत्ति उनके बढ़ने के खतरे में रहने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके बारे में द्वारा संलग्न आवेदन में शिकायत की गई हैं।

11. इसमें वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

तारीख .... मास .... 20 .... को .... में सत्यापित किया गया। उपर्युक्त शपथपत्र की अंर्तवस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं।

अभिसाक्षी